

कार्यालय आदेश

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/3/2009-स्था. (क) दिनांक 03 अगस्त, 2009 की अनुपालना में एवं आरडीपीएल के प्रमाणीकृत आदेश (Standing Order) के अनुसार कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक-थाम हेतु एक शिकायत समिति का गठन किया जाना है।

अतः आरडीपीएल में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों की उनके कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार एक शिकायत समिति का गठन किया जाता है-

01. श्रीमति एस.पी.ललिथा, सहायक प्रबंधक (लेखा) — अध्यक्ष
02. श्री विनोद सिंघई, कारखाना प्रबंधक — सदस्य
03. डॉ. प्रमिला संजया, सलाहकार, सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट एक्टिविटीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, (NGO) — सदस्य

शिकायत समिति को प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का इन्द्राज श्रीमति एस.पी. ललिथा, अध्यक्ष, शिकायत समिति के द्वारा संधारित रजिस्टर में दर्ज किया जावेगा। समिति के लिये यह वांछनीय है कि वह एक तिमाही में यौन उत्पीड़न का कोई सीधा मामला सामने नहीं आने की स्थिति में भी एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करे।

शिकायत समिति, महिला उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त हुई शिकायतों पर की गई कार्यवाही में लिये गये निर्णयों से प्रबंधन को सूचित करेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

उप मुख्य प्रबंधक (प्रशासन एवं एच.आर)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्रीमति एस.पी.ललिथा, सहायक प्रबंधक (लेखा), अध्यक्ष
02. श्री विनोद सिंघई, कारखाना प्रबंधक, सदस्य
03. डॉ. प्रमिला संजया, सलाहकार, सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट एक्टिविटीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, (NGO), सदस्य
04. प्रबन्ध निदेशक महादेय
05. उप महा प्रबंधक (मार्केटिंग)
06. उप महा प्रबंधक (वित्त, अंकेक्षण, आईटी एवं एचआर)
07. उप मुख्य प्रबंधक (उत्पादन)
08. उप मुख्य प्रबंधक (गुण नियंत्रण)
09. उप मुख्य प्रबंधक (अभियांत्रिकी एवं प्रोजेक्ट्स)
10. प्रबंधक (मैटेरियल्स)
11. उप प्रबंधक (आई.टी)
12. अध्यक्ष, आरडीपीएल कामगार यूनियन
13. सुरक्षा कार्यालय
14. नोटिस बोर्ड
15. कार्यालय आदेश पत्रावली/संबन्धित फाइल